## न्यायालय-ए०के०गुप्ता,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

1

<u>आपराधिक प्रक0क्र0</u>—700861 / 2016

संस्थित दिनाँक—22.12.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र गोहद जिला–भिण्ड (म०प्र०) विरुद्ध

.....अभियोगी

- अनिलिसंह पुत्र कमलिसंह गुर्जर उम्र 32 साल निवासी ग्राम टीकरी थाना गोरमी हाल भगतिसंह नगर महाराजपुरा ग्वालियर
- कल्यानसिंह पुत्र पूरनसिंह गुर्जर उम्र ४७ साल निवासी ग्राम टीकरी
- सूरभान उर्फ सूरजभान पुत्र करतारसिंह गुर्जर उम्र 28 साल निवासी टीकरी थाना गोरमी
- 4. प्रदीप कुमार पुत्र हरीसिह यादव उम्र 32 साल निवासी बी०एस०एफ० कॉलोनी, महाराजपुरा ग्वालियर

.....अभियुक्तगण

## \_<u>-ः निर्णय ::-</u> {आज दिनांक 17.05.18 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 324 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 24.11.16 को करीब 15 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत पिपाडी रोड पेटरोल पंप के पास सार्वजनिक स्थान पर फरियादी देवेन्द्र को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रशरण में संयुक्तत : अथवा प्रथक्कतः धारदार वस्तु से स्वेच्छा उपहित कारित की।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 294, 325 सहपिटत धारा 34, 341, 506 बी के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 324 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी देवेन्द्रसिंह अपनी रिश्तेदारी में टिकरी समधिन के हुए दाह संस्कार में गया था, इसके बाद वह एवं चचेरा भाई कैलाश मोटरसाईकिल से ग्राम खरौआ जा रहे थे। पिपाडी रोड पेटरोल पंप के पास दिन के करीब 3 बजे

आए तो अभियुक्तगण ने स्कार्पियो कार से आकर मोटरसाईकिल रूकवाई और पूर्व रंजिश के कारण मां बहन की गालियां देने लगे। इसके बाद सभी आरोपीगण ने लाठियों से मारपीट की जिससे फरियादी व बचाने आए कैलास को चोटें आई। आरोपीगण जान से मारने की धमकी देकर चले गए। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क० 277/16 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेख किए गए, पत्रक व गिर० कर गिर० पत्रक, जब्ती कर जब्ती पत्रक बनाया गया, बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न होने से द०प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण का परीक्षण नहीं किया गया।
- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं
  - 1. क्या दिनांक 24.11.16 को करीब 15 बजे आहत देवेन्द्र के शरीर पर कोई चोट थी, यदि हॉ तो उसकी प्रकृति क्या थी ?
  - 2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय तथा आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत पिपाडी रोड पेटरोल पंप के पास सार्वजनिक स्थान पर फरियादी देवेन्द्र को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रशरण में संयुक्ततः अथवा प्रथक्कतः धारदार वस्तु से स्वेच्छा उपहित कारित की।?

## -:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1, देवेन्द्र अ०सा० 2, कैलाश अ०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है, जबिक अभियुक्तगण की ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।
- 7. फरियादी देवेन्द्र अ0सा0 2 यह कथन करते हैं कि वे आरोपीगण को जानते हैं, उनका आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था जिस पर से आरोपीगण ने थप्पड व घूंसों से उसकी मारपीट कर दी। साक्षी घटना की रिपोर्ट थाना गोहद चौराहा में करना बताते हुए उक्त रिपोर्ट प्र0पी0 5 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। साथ ही घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0 6 बताकर उस पर भी अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। अपने अभिसाक्ष्य में धारदार वस्तु से उपहित कारित किए जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं करते हैं। इसी प्रकार से आहत कैलाश अ0सा0 3 भी मात्र थप्पड घूंसों से आरोपीगण द्वारा मारपीट करने का कथन करता है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर दिया गया। सूचक प्रश्नों में साक्षीगण इस

सुझाव से इंकार करते हैं कि दिनांक 24.11.16 को अभियुक्तगण ने फरियादी देवेन्द्र की धारदार वस्तु से उपहित कारित की थी। इस तथ्य से भी इंकार करते हैं कि आरोपीगण ने लािठयों से उसकी मारपीट की थी। पुलिस रिपोर्ट प्र0पी0 5 के बी से बी भाग तथा पुलिस कथन प्रपी0 7 एवं 8 के विनिर्दिष्ट ए से ए भाग पर अभियुक्तगण द्वारा किसी भी हथियार से उपहित कारित करने के संबंध में सुझाव से इंकार करते हैं। इस प्रकार से स्वयं आहतगण द्वारा अभियुक्तगण के हथियार के प्रयोग कर उपहित कारित किए जाने के संबंध में तथ्य लिखाए जाने से इंकार किया है।

- डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में आहत देवेन्द्र को दिनांक 24.11.16 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में लाए जाने पर माथे पर बांयी तरफ 1.8 गुणा 0.5 गुणा 0.1 सेमी0 का कटा हुआ घाव पाए जाने का कथन करते हैं। उक्त चोट किसी धारदार वस्तु से कारित होने के संबंध में अपना चिकित्सीय अभिमत देते हैं तथा प्रथक प्र0पी0 1 के चिकित्सीय परीक्षण की अवधि अभिकथित चोट की अवधि से 6 घण्टे के भीतर की होने का अभिमत देते हैं। प्र0पी0 5 की प्राथमिकी के अनुसार घटना दोपहर 3 बजे की बताई गयी है जिससे प्र0पी0 1 के चिकित्सीय परीक्षण की अवधि 6 घण्टे की अवश्य है, किन्तु स्वयं आहतगण ने उन्हें किसी धारदार वस्तु से चोट पहुंचाए जाने से इंकार किया है, साथ ही प्रपी0 5 की प्राथमिकी, प्र0पी0 7 व 8 के कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस में किसी धारदार वस्तु से उपहति कारित किए जाने का कोई भी उल्लेख नहीं हैं। अनुसंधान के प्रकृम पर कोई धारदार वस्त् अभियुक्तगण से अभियोगपत्र के अनुसार जब्त नहीं की गयी है। अभियोजन का तर्क है कि राजीनामा हो जाने से साक्षीगण मामले का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो इस संबंध में यदि राजीनामे के आधार पर साक्षियों के पुलिस कथनों एवं प्राथमिकी को सत्य मान भी लिया जाए तो भी किसी धारदार वस्तु से उपहति कारित किए जाने के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर प्रमाणित नहीं होता है। ऐसे में डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1 का चिकित्सीय अभिमत स्वयं आहत साक्षी एवं अभियोजन दस्तावेजों से समर्थित नहीं हैं। स्वयं चिकित्सीय अभिमत सारवान साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है।

4

विरुद्ध मात्र संहिता की धारा 323 का अपराघ प्रमाणित हो सकता है, जो कि राजीनामा हो जाने के कारण दण्डनीय नहीं रह जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 324 का आरोप कि उन्होंने दिनांक 24.11.16 को करीब 15 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत पिपाडी रोड पेटरोल पंप के पास सार्वजनिक स्थान पर फरियादी देवेन्द्र को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रशरण में संयुक्ततः अथवा प्रथक्कतः धारदार वस्तु से स्वेच्छा उपहित कारित की, प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाता है। संहिता के शेष आरोपों के संबंध में राजीनामा हो जाने से उक्त आरोपों के अधीन अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध उपशमन का प्रभाव दोषमुक्ति का होगा।

- 10. अभियुक्तगण की जमानत भारहीन की जाती है। उनके निवेदन पर मुचलके निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेगे।
- 11. प्रकरण में जब्तशुदा लाठी डण्डे मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट किए जावे, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- 12. अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

WIND STATE OF STATE O

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश